Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
JW 250 / 25-2-19	25-2-19	
	(सी.एम.एस.-चालक) AST/SPl	
	यह प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु प्रथम/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-2-19 को उक्त न्यायालय में उपस्थित रहे। प्रकरण दिनांक 25-2-19 को पेश हो।	
	सत्र न्यायाधीश श्योपुर (म0प्र0)	
25.2.19 3:45 T-4:20	आवेदकगण की ओर से श्री अब्दुल्ला कुरैशी अधिवक्ता उपस्थित। राज्य द्वारा श्री [illegible] लोक अभियोजक उप।	
	श्रीमान सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार यह जमानत आवेदन प्रकरण विधि अनुसार निराकरण हेतु अंतरण द्वारा प्राप्त।	
	इस आदेश के द्वारा मामले में आवेदकगण की ओर से द.प्र.स. की धारा 439 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।	
	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत प्रथम [illegible] इस आवेदन का सार यह है कि आवेदकगण के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली श्योपुर के अप.क्र. 71/19 में असत्य प्राथमिकी दर्ज की गयी है और पुलिस [illegible] आधार पर आवेदकगण को निरोध में लिया गया है। आवेदकगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदकगण विद्यार्थी है। आवेदकगण जमानत की शर्तों का पालन करने तैयार है तथा साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे और इस आधार पर उन्हें जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।	

GRPG—164—Forms—21-8-17—2,00,000 Forms.

(124)

Order Sheet [Contd]

Case No. ...39.... of 20[illegible]

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	[illegible]	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	आवेदकगण 19 और 20 वर्षीय नवयुवक है, उनके पूर्व में किसी अन्य अपराध में संलग्न रहने का कोई आक्षेप नहीं है। इसलिए मामले की सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकों को जमानत का लाभ देना न्यायोचित है। अतः यह आवेदन स्वीकार किया जाता है और यह आदेश दिया जाता है कि यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण [illegible] की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर की संतुष्टि [illegible] — की जमानत तथा इतनी ही राशि का एक मुचलका इस आशय का प्रस्तुत कर दिया जाता है — (1) वे अन्वेषण में सहयोग करेंगे। (2) वे न्यायालय या उसके आदेश से अन्य न्यायालय द्वारा नियत की जाने वाली प्रत्येक सुनवाई पर तब तक कि यह हाजिरी माफ न की जावे उपस्थित रहेंगे। (3) वे अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से भयभीत नहीं करेंगे। तो उन्हें उपरोक्तानुसार जमानत पर मुक्त कर दिया जावे। इस आवेदन का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रपत्र नियत अवधि में दाखिल रिकार्ड किए जावें। आदेश की प्रतिलिपि के साथ केस डायरी वापस की जाए। (एन.एस. चन्द्रावत) विशेष न्यायाधीश (अत्याचार निवारण) जयपुर (महा०)	केस डायरी मय आदेश की प्रति के वापस